

## न्यायालय सभागीय आयुक्त भारतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 119/23 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/141)  
पप्पू पुत्र श्री बाबूलाल जाति हरिजन निवासी ग्राम पांचोलास तहसील व जिला  
सवाईमाधोपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

सरकार जरिये तहसीलदार सवाईमाधोपुर।

.....रैस्पोजेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरुद्ध आदेश जिला  
कलक्टर सवाईमाधोपुर मु०नं० 57/2019 पप्पू बनाम सरकार  
निर्णय दिनांक 23.9.2019 (91 एल आर एक्ट)

उपस्थिति:-

श्री रामस्वरूप साहू वकील अपीलान्त

निर्णय

दिनांक:- 31.01.2024

उक्त अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 23.9.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि परीक्षण न्यायालय तहसीलदार सवाईमाधोपुर ने आदेश दिनांक 22.2.2019 से अपीलान्त को पाश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये 91 एल आर एक्ट के तहत अपीलान्त को वेदखल किया जाकर विवादित आराजी से वेदखल कर शास्ती आरोपित कर 90 दिवस के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया है। जिसकी अपील तहत अदालत जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के समक्ष की गई। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा बाद कार्यवाही अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.9.2019 पारित कर अपील अपीलान्त खारिज की गई तथा तहसीलदार सवाईमाधोपुर का निर्णय 22.2.2019 यथावत रखा गया। जिला कलक्टर सवाईमाधोपुर के आदेश दिनांक 23.9.2019 के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोजेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई। नियत दिनांक को रैस्पोजेन्ट की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया वकील अपीलान्त की एकतरफा बहस सुनी।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.09.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 22.02.2019 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। दोनों तहत अदालतों द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को पर्याप्त सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तथा विधिवत तामील किये जाने की प्रक्रिया भी नहीं अपनाई गई। तहसीलदार

45  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर



सवाई माधोपुर के न्यायालय में उक्त प्रकरण दिनांक 06.02.2019 को दर्ज किया गया है तथा दिनांक 22.02.2019 को ही बिना किसी प्रक्रिया की पालना किये निर्णय किया गया है। उक्त सारी प्रक्रिया जल्दबाजी में की गई है, जो कि नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। प्रथम अपीलीय न्यायालय जिला कलक्टर द्वारा भी इस बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। विवादित भूमि पर अपीलान्त का अतिक्रमण होने के संबंध में पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट पेश की है। प्रथम अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने के संबंध में किसी प्रकार की कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की तथा न ही स्वयं के द्वारा मौका निरीक्षण किया गया। अतिक्रमण के संबंध में न तो स्वतन्त्र गवाह से पूछताछ की गई और न ही कोई बयान ही लिये गये। अपीलान्त को किसी तरह का जिरह का अवसर भी नहीं दिया गया। जल्दबाजी में तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 पारित किया है, जो कि निरस्तनीय है। अपीलान्त द्वारा खसरा नम्बर 2117 रकबा 0.50 है० किस्म सिवायचक भूमि ग्राम पिंचोलास पर किसी प्रकार को कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त भूमि की किस्म सिवायचक दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह कहीं भी अंकित नहीं किया कि विवादित भूमि किस प्रकार की सरकारी भूमि है। मात्र एक छपे-छपाये प्रारूप में अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो खारिज किये जाने योग्य है। वकील अपीलान्त ने यह भी तर्क दिया कि विवादित भूमि पर अपीलान्त का किसी प्रकार से कोई अतिक्रमण नहीं होने व पूर्व में भी कोई अतिक्रमण नहीं होने के बावजूद अपीलान्त को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास व शास्ती से दण्डित कर अहम भूल की गई है। अपीलान्त के विरुद्ध पूर्व में कोई अतिक्रमण होने का अपीलाधीन निर्णय में उल्लेख नहीं किया है। अपीलान्त को पूर्व में किसी भी निर्णय के तहत बेदखल किया गया हो ऐसा कोई रिकार्ड अदालत मातहत की पत्रावली में संलग्न नहीं है। पत्रावली में ऐसे निर्णय की प्रमाणित प्रति भी संलग्न नहीं है, जिससे स्पष्ट होता हो कि अपीलान्त को विवादित भूमि से कभी बेदखल किया गया हो। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी उपरोक्त बिन्दुओं पर कोई गौर नहीं किया गया है, इसलिए जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय भी निरस्तनीय है। अपीलान्त ने विवादित भूमि पर अतिक्रमण नहीं होने व भविष्य में भी अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ पत्र पेश किया था, परन्तु इस पर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई गौर नहीं किया गया। अपीलान्त के कई दिनों तक बीमार रहने के कारण इस अपील के निर्णय के बारे में मालूम करने नहीं जा सका था। दिनांक 06.02.2020 को अपीलान्त ठीक होने पर निर्णय की मालूम करने गया तो पता चला कि अपील खारिज फरमा दी गई है। इस पर उसी दिन नकल लेने का प्रार्थना पत्र पेश किया गया और दिनांक 13.2.2020 को नकल मिलने व जानकारी होने पर अन्दर मियाद अपील पेश की गई है। अपील पेश करने में हुए डिले को कन्डोन करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र पेश किया गया है। जिसका रैस्पोडेन्ट की




25  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग, भरतपुर

ओर से कोई जवाब या काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया। इसलिए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार किया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.02.2019 व 23.09.2019 निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। अपीलान्ट की ओर से अपीलाधीन निर्णय दिनांक 23.09.2019 के विरुद्ध अदालत हाजा में दिनांक 05.03.2020 को मियाद बाहर अपील पेश किये जाने पर मियाद संबंधी बिन्दु रिजर्व रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर की गई है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय के गुणावगुण पर विचार किये जाने से पूर्व मियाद संबंधी बिन्दु को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट की ओर से अपील पेश करने में हुए विलम्ब को कंडोन किये जाने हेतु दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र मीमो आफ अपील के साथ पेश किया है। जिसमें अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 06.02.2020 को होने, नकल हेतु आवेदन दिनांक 13.02.2020 को किये जाने तथा निर्णय की नकल प्राप्त होने से अन्दर मियाद अपील पेश करने का उल्लेख किया गया है। इसके समर्थन में शपथ पत्र पेश किया गया है। रैस्पोंडेन्ट की ओर से न तो अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया है और न ही किसी प्रकार का कोई काउन्टर शपथ पत्र ही पेश किया। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्ट को प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक के पूर्व से अपीलाधीन निर्णय के बारे में जानकारी रही हो। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों पर अविश्वास करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। इसके अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल द्वारा कई नजीरों में इस तरह के सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं कि अपीलीय न्यायालय को मियाद संबंधी बिन्दु पर अपील को खारिज किये जाने से बचना चाहिए तथा तकनीकी बिन्दु पर अपील को खारिज नहीं करना चाहिए। इस आधार पर भी अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत दफा 5 लिमिटेशन एक्ट के प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार पर अपील को अन्दर मियाद माना जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

जहां तक तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 व जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.09.2019 के गुणावगुण का प्रश्न है तो तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय से प्राप्त हुई पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट के द्वारा खसरा नंबर 2117 रकबा 0.50 है0 ग्राम पांचोलास की भूमि पर सरसों काशत कर अतिक्रमण किये जाने व पश्चातवर्ती, अतिचारी होने की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने पर अपीलान्ट को तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय से उसका पक्ष रखे जाने हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। जिसमें दिनांक 22.02.2019 को उपस्थित होकर पक्ष



125  
संभागीय आयुक्त  
भारतपुर संभाग, मधोपुर

रखे जाने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्त पर असालतन हुई है तथा निर्णय दिनांक को अपीलान्त तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय में उपस्थित भी रहा है। जिसकी पुष्टि आदेशिका पर हो रहे हस्ताक्षरों से हो रही है। तहसीलदार द्वारा निर्णय दिनांक को पटवारी हल्का के बयान लिये गये उक्त बयान पूर्व मुद्रित प्रारूप में लिए गए हैं। जिसमें खाली स्थानों की पूर्ति की गई है। पटवारी हल्का के बयान में यह उल्लेख है कि अपीलान्त द्वारा सम्वत् 2075 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण किया गया था, परन्तु इसकी पुष्टि में पूर्व में पारित निर्णय, बेदखल किये जाने की दिनांक आदि का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्त निर्णय दिनांक 22.02.2019 में पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान को आधार मानकर अपीलान्त को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। निर्णय में यह भी उल्लेख किया है कि यह पूर्व रिकार्ड से साबित होता है, परन्तु तहसीलदार न्यायालय की पत्रावली में इस तरह का कोई रिकार्ड संलग्न नहीं है। जिससे यह स्पष्ट होता हो कि अपीलान्त का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार रहा हो। अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम अपील में भी जिला कलक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अपीलान्त निर्णय दिनांक 23.09.2019 के द्वारा अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत अपील को खारिज किया है। उक्त निर्णय में विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने यह उल्लेख किया है कि तहसीलदार की ओर से अपीलान्त निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलान्त को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया गया है। पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में यह उल्लेख किया है कि पत्रावली पर उपलब्ध विधिक साक्ष्य यथा पटवारी हल्का के बयानों से पश्चातवर्ती अतिचार की पुष्टि होती है। अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत किये गये शपथ पत्र के संबंध में भी यह उल्लेख किया है कि अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि के संबंध में अपने पक्ष में इस प्रकार का कोई सुदृढ़ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया। जिससे प्रश्नगत भूमि पर अपीलान्त का पूर्ववर्ती अतिचार साबित नहीं होता हो। विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के उक्त मत से हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि तहसीलदार सवाई माधोपुर के न्यायालय की अपीलान्त निर्णय संबंधी मूल पत्रावली में अपीलान्त का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई पूर्व का निर्णय या बेदखली की रिपोर्ट संलग्न नहीं है। इसके अलावा पटवारी हल्का के बयान भी पूर्व मुद्रित बयान के प्रारूप में लिये गये हैं। जिसमें पटवारी हल्का ने अपीलान्त की ओर से सम्वत् 2075 में विवादित भूमि पर अतिक्रमण होने का उल्लेख किया है, परन्तु बयान के समर्थन में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। दूसरी ओर अपीलान्त की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में इस आशय का शपथ पत्र भी पेश किया है कि उसके द्वारा विवादित भूमि से अपना कब्जा हटा लिया गया है। भूमि वर्तमान में मौके पर खाली है। जिस पर वह या उसके परिवारजन भविष्य में किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र




संभाषीय आयुक्त  
भरतपुर संभाग

के आधार पर प्रकरण पुनः तहसीलदार सवाई माधोपुर को जाँच हेतु प्रेषित किया जाना उचित था, परन्तु विद्वान जिला कलक्टर द्वारा अपीलाधीन निर्णय में अपीलान्त की ओर से प्रस्तुत शपथ पत्र के बारे में केवल मात्र यह उल्लेख कर कि अतिक्रमित की गई भूमि के संबंध में अपीलान्त की ओर से कोई सुदृढ़ अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया, के आधार पर अपील खारिज की है। जबकि पश्चातवर्ती अतिचार साबित करने का दायित्व पटवारी हल्का का बनता है। तहसीलदार की ओर से भी निर्णय पारित करने से पूर्व इस तथ्य की जाँच किया जाना आवश्यक था। उपरोक्त प्रकरण में चूंकि अपीलान्त द्वारा विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने के संबंध में शपथ पत्र पेश कर दिया है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 में अपीलान्त को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व लगान की 50 गुना शास्ती आरोपित किये जाने के दण्ड में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप किये जाने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि स्वयं अपीलान्त ने विवादित भूमि से अतिक्रमण हटाये जाने का शपथ पत्र पेश कर दिया है तथा अपीलाधीन निर्णय में पारित शास्ती की राशि भी वसूल कर ली गई है, परन्तु अपीलान्त को विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचारी मानकर 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किये जाने का जो निर्णय पारित किया है। उसे यथावत रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि विवादित भूमि पर अपीलान्त का पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में किसी प्रकार का कोई रिकार्ड या दस्तावेज अदालत मातहतों की अपीलाधीन निर्णय संबंधी पत्रावली में संलग्न नहीं है। दूसरी ओर अपीलान्त की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में विवादित भूमि से कब्जा हटाये जाने व भविष्य में कब्जा नहीं किये जाने का शपथ पत्र भी पेश किया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 23.09.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित निर्णय दिनांक 22.02.2019 में पारित 3 माह के सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सवाई माधोपुर को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्त की ओर से जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में प्रस्तुत शपथ पत्र के संबंध में पुनः जाँच करें तथा विवादित भूमि पर अभी भी यदि अपीलान्त का अतिक्रमण हो तो नियमानुसार प्रक्रिया की पालना करते हुए अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद पश्चातवर्ती अतिचार पाये जाने पर सिविल कारावास के संबंध में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 31.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(साँवर मूल वर्मा)  
संभागीय आयुक्त  
भरतपुर, भरतपुर

